भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 192

मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020/ 24 भाद्रपद, 1942 (शक)

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धनराशि

192. डॉ. प्रकाश बांडा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों और स्व-रोजगार समूहों और आत्मनिर्भर भारत जैसी अन्य विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को कोई धनराशि आवंटित की है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा के अंतर्गत 61,500 करोड़ रुपए के आवंटन के अतिरिक्त, जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत मार्च से मई 2020 तक तीन मजदूरी माह के लिए 100 कर्मचारियों वाले ऐसे सभी प्रतिष्ठानों, जिनके 90% कर्मचारियों की मजदूरी 15,000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, के 12% नियोक्ताओं की हिस्सेदारी तथा 12% कर्मचारियों की हिस्सेदारी सहित कुल 24% हिस्सेदारी का भुगतान किया था। इस पैकेज को आत्मानिभर भारत के तहत अन्य 3 मज़दूरी महीनों, अर्थात् जून से अगस्त, 2020 तक के लिए के लिए बढ़ा दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्व-रोजगार समूहों के लिए निधि उपलब्ध कराई गई थी।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-434
बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक)

असंगठित क्षेत्र में बरोज़गारी दर

434 श्री तिरुची शिवाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2020 के महीनों के लिए बेरोज़गारी दर कितनी है;
(ख) कोविड-19 के कारण असंगठित क्षेत्र में नौकरी गंवाने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या कितनी है; और
(ग) असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के कार्यबल का अनुमानित प्रतिशत कितना है, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी नौकरियाँ गंवाई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): रोजगार-बेरोजगारी पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। पीएलएफएस 2018-19 के अनुसार, ऐसे सर्वेक्षण के आधार पर देश में सभी आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर 5.8%थी। इसके अलावा, कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं।

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 994
(जिसका उत्तर रविवार, 20 सितंबर, 2020/29 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है)

आर्थिक और सर्वसमावेशी पैकेज

994. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा घोषित आर्थिक और सर्वसमावेशी पैकेज का ब्यौरा क्या है;
(ख) उपर्युक्त पैकेज से किन-किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना अभिप्रेत है; और
(ग) उपर्युक्त पैकेज के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को कुल कितनी धन राशि जारी और प्रदान की गई तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर पैकेज और इसमें कवर किए गए क्षेत्रों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-I पर है। पैकेज में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित योजनाएं/कार्यक्रम समाहित है तथा संबंधित मंत्रालय/विभागों को उनसे संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों/नीतियां कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। जहां भी लागू हो, विशेष घोषणाओं हेतु लक्षित प्रोत्साहन को घोषणाओं के प्रति उल्लेख किया जाता है, जैसे अनुबंध-I में दिया गया है।

दिनांक 23.05.2020 को एक आपातकालीन ऋण श्रृंखला गारंटी योजना की भी घोषणा की गई है जो कोविड-19 द्वारा किए गए विघ्न के पश्चात योग्य एमएसएमई और कारोबार उद्यम को उनकी प्रचालन देयताओं और कारोबार फिर से शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) योजना के अंतर्गत ऋणों पर 100 प्रतिशत साख गारंटी प्रदान करता है। 1,19,516,69 करोड़ रु. कुल ऋण राशि की गारंटीयां सदस्य उधारदाता संस्थानों (एमएलआई) को जारी की गई है। एमएलआई वार गारंटीयों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ उन्हें लड़ाई लड़ने में मदद करने के ले 1.70 लाख करोड़ रु. राहत की भी घोषणा की हैं। इसके तहत प्रदान किए गए लाभों को दर्शानेवाला विवरण अनुबंध-III (क) और III (ख) में दिया गया है।

****

अनुबंध- I

दिनांक 20 सितंबर, 2020 के उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 994 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क. दिनांक 13 मई, 2020 को की गई घोषणांए

1. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए ₹3 लाख करोड़ की आकस्मिक कार्यशील पूंजी सुविधा।
2. भारग्रस्त एमएसएमई के लिए ₹20,000 करोड़ का गौण ऋण।
3. एमएसएमई निधियों की निधि के माध्यम से ₹50,000 करोड़ का इक्विटी निवेश।
4. एमएसएमई की नई परिभाषा तथा एमएसएमई के लिए अन्य उपाय।
5. ₹200 करोड़ की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
6. व्यवसाय और संगठित कामगारों के लिए और 3 माह यानि जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के वेतन महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का विस्तार।
7. ईपीएफओ में शामिल सभी संस्थापनाओं के लिए अगले 3 महीनों के लिए नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाना है।
8. एमबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए ₹30,000 की विशेष योजना।
9. एनबीएफसी/एमएफआई के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक साख गारंटी योजना 2.0
10. डिस्कोम्स के लिए 90 हजार करोड़ रु. का नकद अंतरण।
11. ईपीसी और रियायत करारों सहित संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए छह माह तक का विस्तार देते हुए संविदाकारों को राहत।
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को रियायत, सभी पंजीकृत परियोजना का पंजीकरण एवं समाप्ति तिथि को छः माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
13. धर्मार्थ न्यासों गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों एवं व्यावसायियों को लंबित आयकर वापसी यथाशीर्घ जारी करते हुए व्यवसाय को कर राहत।
14. स्रोत पर कर कटौती एवं स्रोत पर कर संग्रहण दरों में कटौती पर वित्तीय वर्ष 20-21 के बची हुई अवधि पर 25 प्रतिशत तक कर की दरों में कटौती।
15. कर संबंधित विभिन्न अनुपालनों की देय तिथि को बढ़ा दिया गया है।

(ख) दिनांक 14 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

16. दो महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्य अनाज की आपूर्ति।
17. प्रौद्योगिकी प्रणाली की सहायता से प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित दर दुकान से मार्च 2021 तक सा.वि.प्र. (राशन) की उपलब्धता, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।
18. प्रवासी कामगारों एवं शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया आवासीय परिसर योजना को लागू किया जाएगा।
19. शिशु मुद्रा कर्जदारों के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता-1500 करोड़ रु. की राहत।
20. सड़क विक्रेताओं के लिए 5000 करोड़ रु. की ऋण सुविधा।

21. आवासन क्षेत्र एवं मध्यम आय वर्ग के लिए प्रोत्साहन हेतु पीएमएवाई (शहरी) के तहत 70,000 करोड़ रु. की एमआईजी के लिए ऋण संबंध सब्सिडी योजना।
22. सीएएमपीए निधियों का प्रयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6000 करोड़ रु.।
23. नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त आपातकाल कार्यशील पूंजी।
24. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को रियायती ऋण प्रोत्साहन के लिए 2 लाख करोड़।

(ग) दिनांक 15 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

25. किसानों के लिए फार्म-गेट हेतु कृषि अवसंरचना निधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए।
26. सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ रु. की योजना।
27. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुवारों के लिए 20,000 करोड़ रु.।
28. राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम।
29. पशु पालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के लिए 15,000 करोड़।
30. शाकीय खेती संवर्धन 4000 करोड़ रु. का परिव्यय।
31. मधुमक्खी पालन पहल-500 करोड़ रु.।
32. 'टॉप' से कुल तक-500 करोड़ रु.।
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासकीय एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए उपाय।

(i) किसानों के लिए बेहतर कीमत की पहुंच के लिए आवश्यक उत्पाद अधिनियम में संशोधन।
(ii) किसानों को विपणन विकल्प देने के लिए कृषि विपणन सुधार।
(iii) कृषि उत्पाद कीमत गुणवत्ता आश्वासन।

घ. दिनांक 16 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

34. कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन की शुरूआत।
35. कोयला क्षेत्र में विविधकृत अवसर।
36. कोयला क्षेत्र में उदारीकृत व्यवस्था।
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश एवं नीतिगत सुधारों को बढ़ाना।
38. रक्षा उत्पादन में स्वावलंबन को बढ़ाना।
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार।
40. नागर विमानन के लिए कार्यदक्ष एयरस्पेस प्रबंधन।
41. पीपीपी के माध्यम से विश्वस्तरीय अधिक हवाई अड्डे।
42. वायुयान रखरखाव, मरम्मत और जांच (एमआरओ) के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना।
43. विद्युत क्षेत्र में दर सूची नीति सुधार, केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण का निजीकरण।
44. सामाजिक क्षेत्र में पुनरुज्जीवित व्यवहार्यता अंतर निधियन योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन।

45. अंतरिक्ष क्रियाकलापों में निजी सहभागिता प्रोत्साहन।
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार।

ङ. दिनांक 17 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

47. रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एमजीएनआरईजीएस के लिए आबंटन में 40,000 करोड़ की वृद्धि।
48. भारत को भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अन्य स्वास्थ्य सुधार में निवेश बढ़ाना।
49. कोविड के पश्चात इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी से प्रेरित शिक्षा।
50. आईबीसी संबंधित उपायों के माध्यम से व्यापार करने की सुगमता को अधिक बढ़ावा देना।
51. कंपनी अधिनियम संबंधी चूकों का वैधीकरण
52. कारपोरेट के लिए व्यापार करने की सुगमता।
53. एक नये, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग नीति।
54. केवल 2020-21 के लिए राज्यों की ऋण सीमा 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत बढ़ाना एवं राज्य स्तरीय सुधारों को प्रोत्साहन।

******

अनुबंध-II

20.09.2020 के लिए राज्य सभा के अतारंकित प्रश्न संख्या 994 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संदर्भित विवरण

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) - एमएलआई - वार स्थिति 16.09.2020 तक

(राशि: करोड़ रुपए में)

एमएलआई का नाम	रकम
अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमटेड	0.36
आदित्य बिरला वित्त लिमिटेड	670.88
आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	78.06
आंबिट अंतिम निजी लिमिटेड	20.44
आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड	12.29
एपीएसी वित्तीय सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड	9.34
अरुणांचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	3.58
असम ग्राम संयम बैंक	15.92
ए.यू. लघु वित्त बैंक लिमिटेड	333.85
औक्सिलो फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड	9.77
अवान्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	75.89
एक्सिस बैंक लिमिटेड	5406.11
एक्सिस वित्त लिमिटेड	72.81
बजाज़ वित्त लिमिटेड	221.89
बजाज हाउसिंग वित्त लिमिटेड	34.21
बंगलिया ग्रामीण डाक बंगला	34.65
बारकोड का बैंक	4245.67
बैंक ऑफ इंडिया	2897.09
महराष्ट्र का बैंक	161.40
बड़ोदा राजस्थानी केएसहेट्रीया ग्राम योजना	58.23
केनरा बैंक	6820.94
राजधानी इंडिया लिमिटेड वित्त	1.54
राजधानी लघु वित्त बैंक लिमिटेड	81.53
कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड	10.48
कैस्पियन आयात निवेश प्राइवेट लिमिटेड	17.37
भारत का केन्द्रीय बैंक	2312.21
सेंट्रम वित्तीय सर्विसेज लिमिटेड	6.72
छत्तीसगढ़ी राजकीय ग्रामीण बैंक	0.35
चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड	124.66
शहर यूनिअन बैंक लि	1291.19
सीएलआईएक्स राजधानी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	75.34
सीएलआईएक्स वित्त इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17.72
सीएसबी बैंक लि	67.45
सीएसएल वित्त लिमिटेड	8.95
दक्शिन बिहर गृह योजना	11.82
डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड	11.94
डीसीबी बैंक लिमिटेड	1660.89
ड्यूश बैंक एजी	878.52
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	44.22
डिज़ीक्रेडिट वित्त प्राइवेट लिमिटेड	0.52
ईसीएल वित्त लिमिटेड	3.89
एडलवाइस खुदरा वित्त लिमिटेड	17.66
इलेक्ट्रॉनिका वित्त लिमिटेड	8.21

एलाइकाई देहाती बैंक	9.03
फेड बैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड	21.68
पूरा वित्त निजी लिमिटेड	0.92
ग्रामीण आयात निवेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2.50
एचडीबी वित्तीय सेवाएँ लि	41.84
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	16737.72
हीरो फिनक्रॉप लिमिटेड	240.99
हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	5.67
हिमालय प्रधान ग्राम सभा	11.48
हिन्दूजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड	204.86
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9305.56
आईडीबीआई बैंक लि	786.47
आईडीएफसी बैंक लिमिटेड	1451.60
आईआईएफएल गृह वित्त लिमिटेड	54.64
सम्मिलित वित्तीय सेवा लिमिटेड	51.51
इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड	71.82
इंडियाबुल कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड	2.28
इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	2.49
भारतीय बैंक	2666.91
भारतीय प्रवासी बैंक	910.32
इंडियाशेल्टर वित्त निगम लिमिटेड	1.05
इंडिया कैपिटल फाइनेंस लि	27.32
इंडसइंड बैंक लिमिटेड	1292.21
आईआरईपी क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	1.17
जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक	42.13
जैन संस लिमिटेड सीमित करें	2.73
जन लघु वित्त बैंक	41.72
जहूरखण्ड राजवंश ग्राम बैंक	13.25
जेएम वित्तीय गृह ऋण लिमिटेड	10.08
जेएम वित्तीय उत्पादों लिमिटेड	8.83
कर्नाटक बैंक	967.44
कर्नाटका ग्रामीण बैंक	0.03
केरला ग्राम बैंक	8.16
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	9089.49
कोटक महिंद्रा लिमिटेड निवेश	35.44
कोटक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड	65.04
एल एंड टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	72.91
लाईफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.07
मदनचैन ग्रामीण बैंक	0.03
मैग्मा फिनक्रॉप लिमिटेड	142.75
महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिट	24.59
मणिपुर रूरल बैंक	0.03
मास वित्तीय सेवा लिमिटेड	4.35
मेघालय रूरल बैंक	4.73
मनीवाइस वित्तीय सेवा निजी लिमिटेड	1.49
उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि	15.99
ओडिशा ग्राम बैंक	12.46
ओरिक्स पट्टे और वित्तीय सेवा इंडिया लिमिटेड	40.26

पछिम बेंगरा ग्राम बंक	18.40
व्यावसायिक राजधानी निजी	30.19
पंजाब एंड सिंध बैंक	867.37
पंजाब ग्रामीण बैंक	0.16
पंजाब नेशनल बैंक	8173.15
इंद्रधनुष डिजिटल सेवा प्राइवेट लिमिटेड	2.07
राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	3.50
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	6.04
आरबीएल बैंक लिमिटेड	350.24
सप्तगिरी ग्रामीण बैंक	0.04
सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	1.08
सुरेशरा ग्रामीण बैंक	65.45
एसबीएफसी वित्त निजी लिमिटेड	0.54
श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	12.35
श्रीराम परिवहन वित्त कंपनी लिमिटेड	2873.28
सीमेंस वित्तीय सेवाएँ निजी लिमिटेड	66.31
लघु उद्योग भारत के विकास बैंक	587.57
एसआरईआई उपकरण वित्त लिमिटेड	12.12
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2346.41
भारतीय स्टेट बैंक	15133.31
सुंदरम वित्त लिमिटेड	121.78
तमिलाडु मार्कटाइल बैंक	1094.81
टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज लि.	351.14
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	19.65
टाटा मोटर फाइनेंस लि	847.82
टाटा मोटर वित्त समाधान लिमिटेड	164.57
फेडरल बैंक लि	1852.31
हांगकांग और शंघाई निगम लिमिटेड, भारत	16.60
जम्मू और कश्मीर बैंक लि	1577.32
करूर वैश्य बैंक लि	1289.54
लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	201.23
नैनीताल बैंक लिमिटेड	43.91
साउथ इंडियन बैंक लि	2561.20
टूरिज़म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि	107.74
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	4.13
यूको बैंक	819.81
यूजीआरओ राजधानी लिमिटेड	32.37
उज्जीवन लघु वित्त बैंक	3.86
भारत की यूनिअन बैंक	4338.35
उत्कल ग्रामीण बैंक	4.57
उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड	0.92
उततर बिहरर ग्राम बंक	0.45
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	19.28
दृश्य होल्डिंग्स और वित्त प्राइवेट लिमिटेड	13.33
विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	2.28
एक्सैंडर वित्त निजी लिमिटेड	23.95
यस बैंक लि	1131.74

अनुबंध–III (क)

20.09.2020 के लिए राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न नं. 994 के भाग (ग) के उत्तर से संदर्भित विवरण

		कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना – एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) – प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2020)	लाभार्थियों को खाद्यान्न का कुल वितरण (मीट्रिक में) अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	दलहन– एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) – प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2020)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (मीट्रिक टन में) द्वारा वितरित दलहन की मात्रा– अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	वितरित किए गए सिलेंडर की संख्या – पीएमयूवाई अप्रैल '20	वितरित किए गए सिलेंडर की संख्या – पीएमयूवाई मई '20	वितरित किए गए सिलेंडर की संख्या – पीएमयूवाई जून '20
सं.	राज्य	दावा खारिज कर दिया	भुगतान की गई राशि	कुल (एएवाई एण्ड पीएचएच)						
1.	अंडमान एवं निकोबार दीव समूह			0.61	1342	0.16	49.05	9,591	7,294	4,533
2.	आन्ध्र प्रदेश	3	1500000	268.23	635928.54	90.28	45018.62	2,72,179	2,15,405	1,74,373
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	500000	8.21	17215.42	1.77	571.561	28,831	24,731	16,600
4.	असम	2	1000000	251.53	506098.035	57.96	19614.09	14,44,011	15,34,863	10,39,012
5.	बिहार	1	500000	857.12	1727839.033	168.85	54228.87	49,67,319	45,10,211	39,49,870
6.	चंडीगढ़			2.75	3793.04	0.64	228.43	93	95	77
7.	छत्तीसगढ़			200.77	506390.755	51.5	22616.74	11,92,348	9,16,589	7,32,245
8.	दादरा एवं नागर हवेली दमन एवं दीव			1.73- D & NH- KIND 0.36 – D& NH- CASH DAMAN & DIU- 0.76	6312.902	0.65	391.44	8,137	5,029	3,871
9.	दिल्ली	1	500000	72.73	166963.0656	17.54	6033.64	77,853	70,885	62,986
10.	गोवा			5.32	13011.507	1.43	644.103	806	519	569
11.	गुजरात	8	4000000	382.54	801111.37	65.63	20090.95	15,38,689	12,28,084	12,18,267

12.	हरियाणा			126.49	285128.669	27	10916	5,53,359	5,40,807	3,86,756
13.	हिमाचल प्रदेश			28.64	63592.905	6.84	3276.5	1,11,235	1,07,648	77,815
14.	जम्मू एवं कश्मीर			72.05	169195.6	16.45	8984.09	6,22,988	7,01,755	3,85,158
15.	झारखंड			263.70	515408.688	57.12	24040.22	15,87,777	13,94,718	10,88,969
16.	कर्नाटक	3	1500000	401.93	977417.15	127.23	38168.19	18,66,059	15,00,307	13,86,662
17.	केरल	3	1500000	154.80	366701.602	37.38	12609.49	1,77,104	1,39,817	1,24,475
18.	लद्दाख			1.44	2505	0.29	87.65	7,561	5,662	4,817
19.	लक्ष्यदीप			0.22	453.12	0.05156	20.18	172	115	104
20.	मध्य प्रदेश	1	500000	546.42	1062037.658	116.85	42791.4	30,77,273	27,68,146	24,12,767
21.	महाराष्ट्र	12	6000000	700.17	1535041.139	167.05	40024.13	22,62,807	23,13,521	21,96,232
22.	मणिपुर			24.57	61346.86	5.88	2131.416	68,061	89,769	84,433
23.	मेघालय			21.46	51401	4.22	1722.802	43,323	57,410	39,297
24.	मिजोरम			6.68	15351.881	1.55	807.261	24,281	15,138	17,885
25.	नागालैंड			14.05	33585.086	2.85	1660.849	21,397	30,801	20,408
26.	उड़ीसा			323.60	748141.347	92.85	40335.4	26,58,543	23,17,299	19,04,076
27.	पुदुचेरी			6.28	9142.06	1.79	535.5	11,075	10,845	8,118
28.	पंजाब	1	500000	141.45	199011.3	35.96	10643.24	8,93,383	8,59,735	7,03,453
29.	राजस्थान			446.62	1159894.144	111.85	36331.41	34,68,116	27,98,019	24,29,451
30.	सिक्किम			3.79	6852.625	0.94	317.964	8,311	8,499	6,376
31.	तमिलनाडु	2	1000000	357.34	829049.154	111.08	33323.76	21,47,315	16,80,938	14,47,941
32.	तेलंगाना	2	1000000	191.62	481824.113	53.29	14144.38	6,05,719	4,96,386	3,54,565
33.	त्रिपुरा			24.83	62051.427	9.2	1942.245	1,33,412	1,16,650	1,16,781
34.	उत्तर प्रदेश	5	2500000	1520.59	3498398.415	352.45	139634.3	93,87,841	81,09,525	72,48,732
35.	उत्तराखंड			61.96	145939.01	13.46	5544.27	2,74,286	2,35,709	2,12,070
36.	पश्चिम बंगाल	1	500000	601.84	1219345.34	145.29	42058	57,51,508	51,34,833	47,49,938
	कुल	**50**	**25,000,000**	**8095.19**	17884820.96	**1,955**	681538.2	**4,53,02,763**	**3,99,47,757**	**3,46,09,682**

अनुबंध III (ख)

दिनांक 20.09.2020 के लिए राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 894 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण

9		पी एम किसान		सीओसीडब्ल्यू (भवन तथा निर्माण निधि)			ईपीएफओ आहरण		24% ईपीएफ वितरण							ईसीएलजीएस के तहत वितरित ऋण (16.09. 2020 तक)	आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) स्कीम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित खाद्यान्न(एमटी) (07.09.2020 तक)		आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) स्कीम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित चना(एमटी) (07.09.2020 तक)		
																	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कुल वितरण	लाभार्थी	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कुल वितरण	लाभार्थी	
संख्या	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख) #	पहचान की गई लाभार्थियों की संख्या	पहचान की गई लाभार्थियों की संख्या (द्वितीय)	कुल राशि (लाख)	लाभार्थी	राशि (लाख)	लाभार्थी (मार्च)	लाभार्थी (अप्रैल)	लाभार्थी (मई)	लाभार्थी (जून)	लाभार्थी (जुलाई)	लाभार्थी (अगस्त)	मार्च से अगस्त तक कुल राशि अंतरित (लाख)	वितरित राशि(करोड़)	(मई से अगस्त 2020)	(जून 2020)^^			
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10677	213.54	11014	5375	491.67	484	161.77281	1841	1749	1643	1488	913	90	159.97	70.8	58	4,760	8.55	8554	
2.	आन्ध्र प्रदेश	4695820	93916.4	1967484	0	19674.84	108567	30485.43907	153300	158283	151372	146792	133535	7318	11325.18	4741.94	7	810	0	0	
3.	अरूणाचल प्रदेश	66323	1326.46	3000	0	60		0							0.00	38.54	583	5,616	33.73	33730	
4.	असम	1861715	37234.3	270000	0	2700	11203	2777.23109	7160	7499	7370	6763	5619	477	510.57	1253.51	15712	13,98,000	637.95	637953	
5.	बिहार	5899824	117996.48	0	0	0	40587	7602.82911	52951	54805	53798	51197	44947	2333	3993.25	1990.15	86450	86,44,972	3151	3151000	
6.	चंडीगढ़	429	8.58	6670	0	400.2	39886	8632.31454	23322	20897	22073	21409	20084	1182	1892.67	478.76	90	8,968	7.06	7058	
7.	छत्तीसगढ़	2167441	43348.82	0	0	0	46119	8660.04503	76268	78444	75723	72665	68033	3206	5995.94	1951.89	1258	1,26,950	169.57	169573	
8.	दादरा और नागर हवाली	10150	203	0	0	0		0							0.00	102.93	164	16,220	11.7	11700	
9.	दमन और दीव	3381	67.62	0	0	0		0							0.00	83.31					
10.	दिल्ली	12075	241.5	39600	39600	3960	295243	73596.16266	39830	36793	36868	34673	30943	1233	3530.06	6381.74	4544	3,29,077	351.1	351100	
11.	गोवा	7854	157.08	5117	0	307.02	12169	3107.29107	17676	15888	15259	14491	13792	381	1318.55	357.52	17	1,683	1.6	1600	
12.	गुजरात	4885062	93701.24	483196	0	4831.96	185208	37273.44252	243172	251261	244516	242384	230145	22558	18731.51	12005.92	266	43,318	19	19000	
13.	हरियाणा	1514497	30289.94	350621	0	17531.05	209604	53039.97756	76918	64925	70265	67210	63189	2943	5957.47	5634.02	7888	8,40,660	465.06	465060	
14.	हिमाचल प्रदेश	870609	17412.18	120265	126039	4926.08	17218	3507.58231	43424	41484	42402	42550	40546	1477	3308.08	912.61	1705	1,70,500	111.7	111700	
15.	जम्मू और कश्मीर	920451	18409.02	155975	0	4679.25	187	17.82763	23838	21959	21844	21588	19224	2594	1742.92	1597.88	1900	1,72,400	131.08	131080	
16.	झारखंड	1231912	24638.24	0	0	0	29000	5142.64934	67788	86091	83575	83130	78118	4899	7158.94	1511.67	717	82,224	1057.91	1057905	
17.	कर्णाटक	4839093	96781.86	1362438	0	68121.9	452484	153845.1508	281634	273165	265257	257403	232202	12724	24206.08	7249.99	11613	16,32,432	2055.38	2055380	
18.	केरल	2716844	54336.88	454124	0	4541.24	101119	31103.7267	110118	91211	99799	104292	98891	1920	8671.58	4888.81	960	95,985	186.03	186030	
19.	लद्दाख	0	0	उक्त जम्मू कश्मीर सहित	उक्त जम्मू कश्मीर सहित	0	18	1.75331	177	143	148	114	105	0	17.89	27.14	33	3,274	0	0	
20.	लक्ष्यद्वीप	0	0	520	0	32.76		0							0.00	1.62	14	1,394	4.53	4530	
21.	मध्यप्रदेश	6812020	136240.4	891850	0	17837	90993	18149.30407	158162	144857	134320	135858	129638	7365	10511.56	4564.56	1774	1,65,178	157.5	157500	
22.	महाराष्ट्र	8632718	172654.36	894408	0	17888.16	667817	167350.5145	418770	404866	380529	372293	346133	16493	31148.58	14364.3	17294	8,98,200	759.12	759120	
23.	मणिपुर	283457	5669.14	52605	0	526.05		0							0.00	70.01	676	67,600	82.35	82348	
24.	मेघालय	115638	2312.76	24730	0	1236.5		0	50025	54058	52551	49333	45249	5711	3315.59	81.38	2099	1,49,800	81.73	81734	
25.	मिजोराम	69425	1388.5	51451	0	1543.53		0							0.00	34.8	236	19,900	29.75	29750	
26.	नागालैंड	181008	3620.16	19048	0	380.92		0							0.00	45.68	1405	74,670	56	56000	
27.	ओडिसा	2003185	40063.7	2083288	0	31249.32	40666	6771.32209	129713	133169	132889	130113	120833	6775	9822.89	2345.1	390	20,000	15.13	15130	
28.	पुदुचेरी	9715	194.3	0	0	0	0	0	16110	13895	14074	14095	13358	632	950.28	212.39	73	7,340	15	15000	
29.	पंजाब	1752498	35049.96	269237	0	17354.22	49472	9865.65577	66008	55952	63477	60461	55427	5106	4779.19	4931.37	7193	7,19,300	980	980000	
30.	राजस्थान	5164391	103287.82	2230000	0	55750	63903	15761.46431	120047	113479	111154	108908	101108	6315	7649.36	7490.01	42478	42,47,800	2003	2003000	
31.	सिक्किम	0	0	7836	0	156.72		0							0.00	46.64	315	15,798	10.03	10031	
32.	तमिलनाडु	3559533	71190.66	1370601	0	27412.02	583181	158265.1997	507424	458395	476308	471998	442011	23263	32325.05	12445.58	2480	30,000	34	34000	
33.	तेलंगाना	3331468	66629.36	830324	0	12454.86	241181	77656.90355	156113	156685	152357	148451	136995	6883	10159.07	5114.29	177	17,213	34.46	34460	
34.	त्रिपुरा	190441	3808.82	39082	0	1172.46	1137	285.8338							0.00	137.23	277	13,368	20.73	20730	
35.	उत्तर प्रदेश	17675849	353516.98	1821520	1695490	35170.1	164511	33390.63687	190548	188671	189680	187887	177736	12618	14786.99	8907.38	11809	7,59,106	1057.95	1057953	
36.	उत्तराखंड	674688	13493.76	228423	228423	4568.46	46150	7975.9938	38032	36608	36725	36632	34787	1794	2958.71	1366.28	156	11,865	30.9	30900	
37.	पश्चिम बंगाल	0	0	2198349	0	21983.49	86684	18083.46987	329406	321645	332165	337058	317556	16739	20675.05	5899.85	43354	39,30,856	2646.76	2646760	
	कुल	89464616	1789092.32	16262774	2094927	378941.78	3804747	954311.4937	3419971	3288977	3268129	3221014	3001118	176629	247602.98	119536.68	266164.053	24927034.8^^	16417.37	16417367	

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1009

(जिसका उत्तर रविवार, 20 सितम्बर, 2020/29 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

राज्यों को वित्तीय पैकेज

1009 श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा लॉकडाउन और कोविड-19 संकट के दौरान कितने प्रोत्साहन वित्तीय पैकेजों की घोषणा की गई;

(ख) अब तक घोषित किए गए वित्तीय पैकेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान और केरल सहित विभिन्न राज्यों को पैकेज के अंतर्गत अब तक कितनी निधि वितरित की गई हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ख): सरकार ने दिनांक 28.03.2020 को गरीबों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है और दिनांक 12.05.2020 को भारत में कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए भारतीय जीडीपी की 10% के समकक्ष 20 लाख करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत पैकेज के नाम से एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर पैकेज के ब्योरे को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में है।

देश को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से आत्मनिर्भर पैकेज में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों/नीतिगत उपायों से संबंधित घोषणाएं शामिल किया गया है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम के लिए घोषित परिव्यय चाहे जो भी लागू हो अनुबंध-II मे स्कीम/कार्यक्रम के समक्ष उल्लेख किया गया है।

(ग) दिनांक 07.09.2020 तक पीएमजीकेपी के विभिन्न घटकों के तहत केरल और राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों को नकद अंतरण के रूप में कुल 68,820 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। इसके अतिरिक्त एनएफएसए के अंतर्गत लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों को 178.85 लाख मैट्रिक टन की खाद्यान्न और 6.82 लाख मैट्रिक टन की दलहन निःशुल्क वितरित किया गया है और यह स्कीम नवंबर, 2020 तक जारी रहेगी। दी गई लाभ का राज्यवार दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-III पर है।

अनुबंध-I

दिनांक 20.09.2020 के लिए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1009 के भाग (क) से (ख) तक की उत्तर से संदर्भित विवरण।

पीएमजीकेवाई का ब्यौरा

1. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना।

लगभग 22.21 लाख लोक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए 50 लाख रुपये की व्यापक दुर्घटना कवर प्रदान करने हेतु दिनांक 30.03.2020 से कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक बीमा योजना शुरू की गई थी जिसमें वह सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मियों जिन्हें कोविड-19 के मरीजों सीधे संपर्क तथा देखरेख में रहना पड़ा और जो इससे प्रभावित होने से खतरे में पड़ सकते हैं शामिल हैं। प्रारंभ में यह योजना दिनांक 30.03.2020 से 90 दिनों के लिए थी और अब इसे अगले 90 दिनों तक बढ़ाया गया है, अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण निजी अस्पताल स्टाफ/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/संविदा/दैनिक मजदूरी/तदर्थ/राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आईआईएमएस एवं आईएनआई के स्वायत्त अस्पतालों, केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों को कोविड-19 से संबंधित जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ये मामले भी योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

II. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

इस योजना के अंतर्गत तीन माह अर्थात अप्रैल से जून, 2020 तक की अवधि के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अन्त्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता गृहस्थी) के अंतर्गत शामिल सभी लाभार्थियों को प्रतिव्यक्ति प्रति माह के दर से @ 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न की अतिरिक्त आवंटन नि:शुल्क प्रदान किया गया जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत आने वाले लोग भी शामिल हैं। लगभग 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 119.32 एलएमटी की खाद्यान्न आवंटित किया गया था जिसमें 46,061 करोड़ रुपये की वित्तीय निहितार्थ शामिल है। लगभग 81.09 करोड़ लाभार्थियों के लिए 2020.749 एलएमटी खाद्यान्न की अतिरिक्त आवंटन सहित इस योजना को नवम्बर 2020 (5 माह) तक बढ़ाया गया है। जिसमें 76062.11 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी शामिल है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय प्राथमिकता के अनुसार 3 महीने के लिए प्रति परिवार को @1 किलोग्राम दलहन नि.शुल्क प्रदान किया गया था। इस योजना को नवम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है।

III. किसानों को लाभ:

वर्ष 2020-21 में बकाया 2000 रुपये की पहली किस्त को फ्रंटलोड किया गया था और अप्रैल, 2020 में पीएम किसान योजना के अंतर्गत उसका भुगतान किया गया। जिसमें 8.7 करोड़ किसान शामिल थे।

iv. नकद अंतरण-

क) **गरीबों का सहायता:** कुल 20.40 करोड़ (लगभग) पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को अगले तीन महीने के लिए प्रतिमाह 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई।

ख) **गैस सिलेण्डर:** दिनांक 01.04.2020 से 13,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित पीएमजीकेपी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 8 करोड़ लाभार्थियों को तीन महीने के लिए निशुल्क एलपीजी सिलेण्डर प्रदान करने हेतु योजना शुरू की गई थी। सिलेण्डर खरीदने के लिए नकद अग्रिम लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित किया गया था। इस योजना को 30 सितंबर,2020 तक उन लाभार्थियों के लिए बढ़ा दी गई है जिन्हें खाली सिलेण्डर भरने के लिए अग्रिम राशि दी गई है; परंतु 30.06.2020 तक नि:शुल्क

सिलेण्डर खरीद नहीं पाए हैं। दिनांक 06.09.2020 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत ओएमसी ने पीएमयूवाई लाभार्थियों को 1321.59 लाख रिफिल वितरित किए हैं।

ग) **संगठित क्षेत्र में कम वेतन पाने वालों को सहायता:** 100 से कम कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रतिमाह 15000 से कम कमाने वाले, वेतन पाने वाले को उनके रोजगार में व्यवधान को कम करने के लिए अगले तीन माह के लिए उनके भविष्य निधि खाते में मासिक वेतन का चौबीस (24) प्रतिशत प्रदान किया गया है। इस योजना को अगले तीन महीने अर्थात अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया है।

घ) **वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) , विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को सहायता:** लगभग 3 करोड़ वृद्धि विधवाओं तथा दिव्यांग श्रेणी के लोगों को तीन महीने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि प्रदान किया गया।

V. **मनरेगा**

01 अप्रैल, 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की गई थी। इस मजदूरी वृद्धि से यह अनुमान किया गया था इससे एक कर्मचारी को सालाना 2000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।

V. **स्वयं सहायता समूह:**

63 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिला संगठित के लिए सहायता नि:शुल्क ऋण की सीमा 10 से 20 लाख रुपये तक बढ़ाया गया था जिससे 6.85 करोड़ परिवारों को मदद मिली।

VI. **पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक:**

क. **संगठित क्षेत्र:** वैश्विक महामारी के कारण कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में संशोधन किया गया ताकि उनके खाते से राशि की 75 प्रतिशत गैर-वापसी अग्रिम अथवा 3 महीने का वेतन जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी जा सके। ईपीएफ के तहत पंजीकृत 4 करोड़ श्रमिकों के परिवार इस विंडों का लाभ उठा सकते हैं।

ख. **भवन तथा अन्य निर्माण से संबंधित कर्मचारी कल्याण निधि:** केंद्र सरकार अधिनियम के अंतर्गत भवन तथा अन्य निर्माण से संबंधित कर्मचारियों के लिए कल्याण निधि बनाया गया है। इस निधि में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत कर्मचारी हैं। राज्य सरकारों को आर्थिक अवरोध से बचने के लिए इन कर्मचारियों की सहायता तथा समर्थन के लिए इस निधि का उपयोग हेतु निदेश दिया गया था।

जिला खनिज निधि: राज्य सरकारों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के साथ-साथ इस वैश्विक महामारी से प्रभावित मरीजों की ईलाज से संबंधित चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग तथा अन्य आवश्यकताओं के पूरक और संबंधित सुविधाओं के लिए जिला खनिज निधि (डीएमएफ) के तहत उपलब्ध निधि का उपयोग करने के लिए कहा गया था।

अनुबंध- II

दिनांक 20.09.2020 के लिए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1009 के भाग (क) से (ख) तक की उत्तर से संदर्भित विवरण।

आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज

क. दिनांक 13 मई, 2020 को की गई घोषणांए

1. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए ₹3 लाख करोड़ की आकस्मिक कार्यशील पूंजी सुविधा।
2. भारग्रस्त एमएसएमई के लिए ₹20,000 करोड़ का गौण ऋण।
3. एमएसएमई निधियों की निधि के माध्यम से ₹50,000 करोड़ का इक्विटी निवेश।
4. एमएसएमई की नई परिभाषा तथा एमएसएमई के लिए अन्य उपाय।
5. ₹200 करोड़ की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
6. व्यवसाय और संगठित कामगारों के लिए और 3 माह यानि जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के वेतन महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का विस्तार।
7. ईपीएफओ में शामिल सभी संस्थापनाओं के लिए अगले 3 महीनों के लिए नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों क लिए ईपीएफ अंशदान 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाना है।
8. एमबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए ₹30,000 की विशेष योजना।
9. एनबीएफसी/एमएफआई के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक साख गारंटी योजना 2.0
10. डिस्कोम्स के लिए 90 हजार करोड़ रु. का नकद अंतरण।
11. ईपीसी और रियायत करारों सहित संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए छह माह तक का विस्तार देते हुए संविदाकारों को राहत।
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को रियायत, सभी पंजीकृत परियोजना का पंजीकरण एवं समाप्ति तिथि को छः माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
13. धर्मार्थ न्यासों गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों एवं व्यावसायियों को लंबित आयकर वापसी यथाशीर्घ जारी करते हुए व्यवसाय को कर राहत।
14. स्रोत पर कर कटौती एवं स्रोत पर कर संग्रहण दरों में कटौती पर वित्तीय वर्ष 20-21 के बची हुई अवधि पर 25 प्रतिशत तक कर की दरों में कटौती।
15. कर संबंधित विभिन्न अनुपालनों की देय तिथि को बढ़ा दिया गया है।

(ख) दिनांक 14 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

16. दो महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्य अनाज की आपूर्ति।
17. प्रौद्योगिकी प्रणाली की सहायता से प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित दर दुकान से मार्च 2021 तक सा.वि.प्र. (राशन) की उपलब्धता, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।
18. प्रवासी कामगारों एवं शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया आवासीय परिसर योजना को लागू किया जाएगा।
19. शिशु मुद्रा कर्जदारों के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता-1500 करोड़ रु. की राहत।
20. सड़क विक्रेताओं के लिए 5000 करोड़ रु. की ऋण सुविधा।
21. आवासन क्षेत्र एवं मध्यम आय वर्ग के लिए प्रोत्साहन हेतु पीएमएवाई (शहरी) के तहत 70,000 करोड़ रु. की एमआईजी के लिए ऋण संबंध सब्सिडी योजना।
22. सीएएमपीए निधियों का प्रयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6000 करोड़ रु.।
23. नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त आपातकाल कार्यशील पूंजी।
24. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को रियायती ऋण प्रोत्साहन के लिए 2 लाख करोड़।

(ग) दिनांक 15 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

25. किसानों के लिए फार्म-गेट हेतु कृषि अवसंरचना निधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए।
26. सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ रु. की योजना।
27. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुवारों के लिए 20,000 करोड़ रु.।
28. राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम।
29. पशु पालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के लिए 15,000 करोड़।
30. शाकीय खेती संवर्धन 4000 करोड़ रु. का परिव्यय।
31. मधुमक्खी पालन पहल-500 करोड़ रु.।
32. 'टॉप' से कुल तक-500 करोड़ रु.।
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासकीय एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए उपाय।

(i) किसानों के लिए बेहतर कीमत की पहुंच के लिए आवश्यक उत्पाद अधिनियम में संशोधन।
(ii) किसानों को विपणन विकल्प देने के लिए कृषि विपणन सुधार।
(iii) कृषि उत्पाद कीमत गुणवत्ता आश्वासन।

घ. दिनांक 16 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

34. कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन की शुरूआत।
35. कोयला क्षेत्र में विविधकृत अवसर।
36. कोयला क्षेत्र में उदारीकृत व्यवस्था।
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश एवं नीतिगत सुधारों को बढ़ाना।
38. रक्षा उत्पादन में स्वावलंबन को बढ़ाना।
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार।
40. नागर विमानन के लिए कार्यदक्ष एयरस्पेस प्रबंधन।
41. पीपीपी के माध्यम से विश्वस्तरीय अधिक हवाई अड्डे।
42. वायुयान रखरखाव, मरम्मत और जांच (एमआरओ) के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना।
43. विद्युत क्षेत्र में दर सूची नीति सुधार, केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण का निजीकरण।
44. सामाजिक क्षेत्र में पुनरुज्जीवित व्यवहार्यता अंतर निधियन योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन।
45. अंतरिक्ष क्रियाकलापों में निजी सहभागिता प्रोत्साहन।
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार।

ङ. दिनांक 17 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

47. रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एमजीएनआरईजीएस के लिए आबंटन में 40,000 करोड़ की वृद्धि।
48. भारत को भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अन्य स्वास्थ्य सुधार में निवेश बढ़ाना।
49. कोविड के पश्चात इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी से प्रेरित शिक्षा।
50. आईबीसी संबंधित उपायों के माध्यम से व्यापार करने की सुगमता को अधिक बढ़ावा देना।
51. कंपनी अधिनियम संबंधी चूकों का वैधीकरण
52. कारपोरेट के लिए व्यापार करने की सुगमता।
53. एक नये, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग नीति।
54. केवल 2020-21 के लिए राज्यों की ऋण सीमा 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत बढ़ाना एवं राज्य स्तरीय सुधारों को प्रोत्साहन।

अनुबंध–III

20.09.2020 के लिए राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न नं. 1009 के भाग (ग) के उत्तर से संदर्भित विवरण

		कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना – एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) – प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2020)	लाभार्थियों को खाद्यान्न का कुल वितरण (मीट्रिक में) अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	दलहन– एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) – प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2020)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (मीट्रिक टन में) द्वारा वितरित दलहन की मात्रा–अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	वितरित किए गए सिलेंडर की संख्या – पीएमयूवाई अप्रैल '20	वितरित किए गए सिलेंडर की संख्या – पीएमयूवाई मई '20	वितरित किए गए सिलेंडर की संख्या – पीएमयूवाई जून '20
सं.	राज्य	दावा खारिज कर दिया	भुगतान की गई राशि	कुल (एएवाई एण्ड पीएचएच)						
1.	अंडमान एवं निकोवार दीव समूह			0.61	1342	0.16	49.05	9,591	7,294	4,533
2.	आन्ध्र प्रदेश	3	1500000	268.23	635928.54	90.28	45018.62	2,72,179	2,15,405	1,74,373
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	500000	8.21	17215.42	1.77	571.561	28,831	24,731	16,600
4.	असम	2	1000000	251.53	506098.035	57.96	19614.09	14,44,011	15,34,863	10,39,012
5.	बिहार	1	500000	857.12	1727839.033	168.85	54228.87	49,67,319	45,10,211	39,49,870
6.	चंडीगढ़			2.75	3793.04	0.64	228.43	93	95	77
7.	छत्तीसगढ़			200.77	506390.755	51.5	22616.74	11,92,348	9,16,589	7,32,245
8.	दादरा एवं नागर हवेली दमन एवं			1.73- D & NH- KIND 0.36 – D& NH- CASH	6312.902	0.65	391.44	8,137	5,029	3,871

	दीव			DAMAN & DIU- 0.76						
9.	दिल्ली	1	500000	72.73	166963.0656	17.54	6033.64	77,853	70,885	62,986
10.	गोवा			5.32	13011.507	1.43	644.103	806	519	569
11.	गुजरात	8	4000000	382.54	801111.37	65.63	20090.95	15,38,689	12,28,084	12,18,267
12.	हरियाणा			126.49	285128.669	27	10916	5,53,359	5,40,807	3,86,756
13.	हिमाचल प्रदेश			28.64	63592.905	6.84	3276.5	1,11,235	1,07,648	77,815
14.	जम्मू एवं कश्मीर			72.05	169195.6	16.45	8984.09	6,22,988	7,01,755	3,85,158
15.	झारखंड			263.70	515408.688	57.12	24040.22	15,87,777	13,94,718	10,88,969
16.	कर्नाटक	3	1500000	401.93	977417.15	127.23	38168.19	18,66,059	15,00,307	13,86,662
17.	केरल	3	1500000	154.80	366701.602	37.38	12609.49	1,77,104	1,39,817	1,24,475
18.	लद्दाख			1.44	2505	0.29	87.65	7,561	5,662	4,817
19.	लक्ष्यदीप			0.22	453.12	0.05156	20.18	172	115	104
20.	मध्य प्रदेश	1	500000	546.42	1062037.658	116.85	42791.4	30,77,273	27,68,146	24,12,767
21.	महाराष्ट्र	12	6000000	700.17	1535041.139	167.05	40024.13	22,62,807	23,13,521	21,96,232
22.	मणिपुर			24.57	61346.86	5.88	2131.416	68,061	89,769	84,433
23.	मेघालय			21.46	51401	4.22	1722.802	43,323	57,410	39,297
24.	मिजोरम			6.68	15351.881	1.55	807.261	24,281	15,138	17,885
25.	नागालैंड			14.05	33585.086	2.85	1660.849	21,397	30,801	20,408
26.	उड़ीसा			323.60	748141.347	92.85	40335.4	26,58,543	23,17,299	19,04,076
27.	पुदुचेरी			6.28	9142.06	1.79	535.5	11,075	10,845	8,118
28.	पंजाब	1	500000	141.45	199011.3	35.96	10643.24	8,93,383	8,59,735	7,03,453
29.	राजस्थान			446.62	1159894.144	111.85	36331.41	34,68,116	27,98,019	24,29,451
30.	सिक्किम			3.79	6852.625	0.94	317.964	8,311	8,499	6,376
31.	तमिलनाडू	2	1000000	357.34	829049.154	111.08	33323.76	21,47,315	16,80,938	14,47,941
32.	तेलंगाना	2	1000000	191.62	481824.113	53.29	14144.38	6,05,719	4,96,386	3,54,565
33.	त्रिपुरा			24.83	62051.427	9.2	1942.245	1,33,412	1,16,650	1,16,781
34.	उत्तर प्रदेश	5	2500000	1520.59	3498398.415	352.45	139634.3	93,87,841	81,09,525	72,48,732
35.	उत्तराखंड			61.96	145939.01	13.46	5544.27	2,74,286	2,35,709	2,12,070
36.	पश्चिम बंगाल	1	500000	601.84	1219345.34	145.29	42058	57,51,508	51,34,833	47,49,938
	कुल	**50**	**25,000,000**	**8095.19**	17884820.96	**1,955**	681538.2	**4,53,02,763**	**3,99,47,757**	**3,46,09,682**

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1034
(जिसका उत्तर रविवार, 20 सितंबर, 2020/29 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है)
कोविड पैकेज के रूप में जारी की गई धनराशि

1034. श्री पी.एल.पुनिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कितनी धनराशि का कोविड पैकेज जारी किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कोविड पैकेज के अंतर्गत जारी की गई निधियां सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है; और

(ग) उक्त कोविड पैकेज के अंतर्गत किसानों, श्रमिकों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कुल कितनी प्रतिशत निधि जारी और खर्च की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये राहत की भी घोषणा की है। पैकेज का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है। सरकार ने दिनांक 12.05.2020 को भारत में कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए, भारत की जीडीपी के 10 प्रतिशत के समतुल्य - 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक एवं व्यापार पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से घोषित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम/नीतिगत उपाय समाहित हैं। ये अधिकतर दीर्घावधिक उपाय हैं तथा इसके परिणाम नियत समय पर दिखाई देंगे। पैकेज का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

दिनांक 07.09.2020 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विभिन्न घटकों के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों को नकद अंतरण के रूप में कुल 68,820 करोड़ रुपये अंतरित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनएफएसए के तहत लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों को 178.85 लाख मीट्रिक टन खाद्यान और के 6.82 लाख मीट्रिक टन दालें नि:शुल्क वितरित की गई हैं और यह योजना नवंबर 2020 तक जारी रहेगी। इस योजना का विस्तार किए जाने के कारण अनुमानित 82,911 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। इसके अलावा, 06.09.2020 की स्थिति तक इस योजना के अंतर्गत पीएमयूवाई लाभार्थियों को 1321.59 लाख नि:शुल्क गैस सिलेण्डर दिए गए हैं।

राज्यों को अग्रिम के रूप में दिनांक 03.04.2020 को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से गृह मंत्रालय द्वारा 11092 करोड़ रुपये का निर्गमन किया गया है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु एनएचएम के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1113.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, कोविड आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य तंत्र तत्परता पैकेज के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 4256.79 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

आत्मनिर्भर पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम/नीतिगत उपाय शामिल हैं। विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जहां भी लागू

हो, प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए लक्षित प्रोत्साहन पैकेज के तहत घोषित प्रत्येक योजना का उल्लेख किया गया है।

किसानों के लिए, पीएमजीकेपी के अंतर्गत पीएम-किसान की पहली किस्त का भुगतान समय से पहले किए जाने के अलावा, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रोत्साहन, किसानों के लिए फॉर्म-गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि, सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम आदि जैसे उपायों की घोषणा भी की गई थी।

इसी प्रकार, पात्र एमएसएमई और व्यापार उद्यमों को कोविड-19 के कारण उत्पन्न विघ्न के पश्चात अपने प्रचालनात्मक खर्चों को पूरा करने और अपने कारोबार को पुन: आरंभ करने में मदद करने के लिए एमएसएमई के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी स्कीम, व्यापार और संगठित कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने आदि जैसे उपाय किए गए।

श्रमिकों के लिए, प्रवासी श्रमिकों हेतु नि:शुल्क खाद्य आपूर्ति की गई और प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया आवास परिसरों की स्कीम शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के अंतर्गत कुल आवंटन बढ़कर 1,01,500 करोड़ रुपये हो गया है।

इन योजनाओं को दिए गए लाभ को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है।

******

अनुबंध-I

दिनांक 20.09.2020 के लिए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 के भाग (क) से (ग) तक की उत्तर से संदर्भित विवरण।

पीएमजीकेवाई का ब्यौरा

1. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना।

लगभग 22.21 लाख लोक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए 50 लाख रुपये की व्यापक दुर्घटना कवर प्रदान करने हेतु दिनांक 30.03.2020 से कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक बीमा योजना शुरू की गई थी जिसमें वह सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मियों जिन्हें कोविड-19 के मरीजों सीधे संपर्क तथा देखरेख में रहना पड़ा और जो इससे प्रभावित होने से खतरे में पड़ सकते हैं शामिल हैं। प्रारंभ में यह योजना दिनांक 30.03.2020 से 90 दिनों के लिए थी और अब इसे अगले 90 दिनों तक बढ़ाया गया है, अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण निजी अस्पताल स्टाफ/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/संविदा/दैनिक मजदूरी/तदर्थ/राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आईआईएमएस एवं आईएनआई के स्वायत्त अस्पतालों, केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों को कोविड-19 से संबंधित जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ये मामले भी योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

II. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

इस योजना के अंतर्गत तीन माह अर्थात अप्रैल से जून, 2020 तक की अवधि के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अन्त्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता गृहस्थी) के अंतर्गत शामिल सभी लाभार्थियों को प्रतिव्यक्ति प्रति माह के दर से @ 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न की अतिरिक्त आवंटन नि:शुल्क प्रदान किया गया जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत आने वाले लोग भी शामिल हैं। लगभग 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 119.32 एलएमटी की खाद्यान्न आवंटित किया गया था जिसमें 46,061 करोड़ रुपये की वित्तीय निहितार्थ शामिल है। लगभग 81.09 करोड़ लाभार्थियों के लिए 2020.749 एलएमटी खाद्यान्न की अतिरिक्त आवंटन सहित इस योजना को नवम्बर 2020 (5 माह) तक बढ़ाया गया है। जिसमें 76062.11 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी शामिल है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय प्राथमिकता के अनुसार 3 महीने के लिए प्रति परिवार को @1 किलोग्राम दलहन नि.शुल्क प्रदान किया गया था। इस योजना को नवम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है।

III. किसानों को लाभ:

वर्ष 2020-21 में बकाया 2000 रुपये की पहली किस्त को फ्रंटलोड किया गया था और अप्रैल, 2020 में पीएम किसान योजना के अंतर्गत उसका भुगतान किया गया। जिसमें 8.7 करोड़ किसान शामिल थे।

iv. नकद अंतरण-

क) **गरीबों का सहायता:** कुल 20.40 करोड़ (लगभग) पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को अगले तीन महीने के लिए प्रतिमाह 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई।

ख) **गैस सिलेण्डर:** दिनांक 01.04.2020 से 13,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित पीएमजीकेपी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 8 करोड़ लाभार्थियों को तीन महीने के लिए निशुल्क एलपीजी सिलेण्डर प्रदान करने हेतु योजना शुरू की गई थी। सिलेण्डर खरीदने के लिए नकद अग्रिम लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित किया गया था। इस योजना को 30 सितंबर,2020 तक उन लाभार्थियों के लिए बढ़ा दी गई है जिन्हें खाली सिलेण्डर भरने के लिए अग्रिम राशि दी गई है; परंतु 30.06.2020 तक नि:शुल्क

सिलेण्डर खरीद नहीं पाए हैं। दिनांक 06.09.2020 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत ओएमसी ने पीएमयूवाई लाभार्थियों को 1321.59 लाख रिफिल वितरित किए हैं।

ग) **संगठित क्षेत्र में कम वेतन पाने वालों को सहायता:** 100 से कम कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रतिमाह 15000 से कम कमाने वाले, वेतन पाने वाले को उनके रोजगार में व्यवधान को कम करने के लिए अगले तीन माह के लिए उनके भविष्य निधि खाते में मासिक वेतन का चौबीस (24) प्रतिशत प्रदान किया गया है। इस योजना को अगले तीन महीने अर्थात अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया है।

घ) **वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) , विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को सहायता:** लगभग 3 करोड़ वृद्धि विधवाओं तथा दिव्यांग श्रेणी के लोगों को तीन महीने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि प्रदान किया गया।

V. **मनरेगा**

01 अप्रैल, 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की गई थी। इस मजदूरी वृद्धि से यह अनुमान किया गया था इससे एक कर्मचारी को सालाना 2000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।

V. **स्वयं सहायता समूह:**

63 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिला संगठित के लिए सहायता नि:शुल्क ऋण की सीमा 10 से 20 लाख रुपये तक बढ़ाया गया था जिससे 6.85 करोड़ परिवारों को मदद मिली।

VI. **पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक:**

क. **संगठित क्षेत्र:** वैश्विक महामारी के कारण कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में संशोधन किया गया ताकि उनके खाते से राशि की 75 प्रतिशत गैर-वापसी अग्रिम अथवा 3 महीने का वेतन जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी जा सके। ईपीएफ के तहत पंजीकृत 4 करोड़ श्रमिकों के परिवार इस विंडों का लाभ उठा सकते हैं।

ख. **भवन तथा अन्य निर्माण से संबंधित कर्मचारी कल्याण निधि:** केंद्र सरकार अधिनियम के अंतर्गत भवन तथा अन्य निर्माण से संबंधित कर्मचारियों के लिए कल्याण निधि बनाया गया है। इस निधि में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत कर्मचारी हैं। राज्य सरकारों को आर्थिक अवरोध से बचने के लिए इन कर्मचारियों की सहायता तथा समर्थन के लिए इस निधि का उपयोग हेतु निदेश दिया गया था।

जिला खनिज निधि: राज्य सरकारों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के साथ-साथ इस वैश्विक महामारी से प्रभावित मरीजों की ईलाज से संबंधित चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग तथा अन्य आवश्यकताओं के पूरक और संबंधित सुविधाओं के लिए जिला खनिज निधि (डीएमएफ) के तहत उपलब्ध निधि का उपयोग करने के लिए कहा गया था।

अनुबंध- II

दिनांक 20 सितंबर, 2020 के उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज

क. दिनांक 13 मई, 2020 को की गई घोषणांए

1. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए ₹3 लाख करोड़ की आकस्मिक कार्यशील पूंजी सुविधा।
2. भारग्रस्त एमएसएमई के लिए ₹20,000 करोड़ का गौण ऋण।
3. एमएसएमई निधियों की निधि के माध्यम से ₹50,000 करोड़ का इक्विटी निवेश।
4. एमएसएमई की नई परिभाषा तथा एमएसएमई के लिए अन्य उपाय।
5. ₹200 करोड़ की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
6. व्यवसाय और संगठित कामगारों के लिए और 3 माह यानि जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के वेतन महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का विस्तार।
7. ईपीएफओ में शामिल सभी संस्थापनाओं के लिए अगले 3 महीनों के लिए नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों क लिए ईपीएफ अंशदान 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाना है।
8. एमबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए ₹30,000 की विशेष योजना।
9. एनबीएफसी/एमएफआई के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक साख गारंटी योजना 2.0
10. डिस्कोम्स के लिए 90 हजार करोड़ रु. का नकद अंतरण।
11. ईपीसी और रियायत करारों सहित संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए छह माह तक का विस्तार देते हुए संविदाकारों को राहत।
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को रियायत, सभी पंजीकृत परियोजना का पंजीकरण एवं समाप्ति तिथि को छः माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
13. धर्मार्थ न्यासों गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों एवं व्यावसायियों को लंबित आयकर वापसी यथाशीर्घ जारी करते हुए व्यवसाय को कर राहत।
14. स्रोत पर कर कटौती एवं स्रोत पर कर संग्रहण दरों में कटौती पर वित्तीय वर्ष 20-21 के बची हुई अवधि पर 25 प्रतिशत तक कर की दरों में कटौती।
15. कर संबंधित विभिन्न अनुपालनों की देय तिथि को बढ़ा दिया गया है।

(ख) दिनांक 14 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

16. दो महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्य अनाज की आपूर्ति।
17. प्रौद्योगिकी प्रणाली की सहायता से प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित दर दुकान से मार्च 2021 तक सा.वि.प्र. (राशन) की उपलब्धता, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।
18. प्रवासी कामगारों एवं शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया आवासीय परिसर योजना को लागू किया जाएगा।
19. शिशु मुद्रा कर्जदारों के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता-1500 करोड़ रु. की राहत।

20. सड़क विक्रेताओं के लिए 5000 करोड़ रु. की ऋण सुविधा।
21. आवासन क्षेत्र एवं मध्यम आय वर्ग के लिए प्रोत्साहन हेतु पीएमएवाई (शहरी) के तहत 70,000 करोड़ रु. की एमआईजी के लिए ऋण संबंध सब्सिडी योजना।
22. सीएएमपीए निधियों का प्रयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6000 करोड़ रु.।
23. नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त आपातकाल कार्यशील पूंजी।
24. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को रियायती ऋण प्रोत्साहन के लिए 2 लाख करोड़।

(ग) दिनांक 15 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

25. किसानों के लिए फार्म-गेट हेतु कृषि अवसंरचना निधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए।
26. सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ रु. की योजना।
27. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुवारों के लिए 20,000 करोड़ रु.।
28. राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम।
29. पशु पालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के लिए 15,000 करोड़।
30. शाकीय खेती संवर्धन 4000 करोड़ रु. का परिव्यय।
31. मधुमक्खी पालन पहल-500 करोड़ रु.।
32. 'टॉप' से कुल तक-500 करोड़ रु.।
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासकीय एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए उपाय।

(i) किसानों के लिए बेहतर कीमत की पहुंच के लिए आवश्यक उत्पाद अधिनियम में संशोधन।
(ii) किसानों को विपणन विकल्प देने के लिए कृषि विपणन सुधार।
(iii) कृषि उत्पाद कीमत गुणवत्ता आश्वासन।

घ. दिनांक 16 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

34. कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन की शुरूआत।
35. कोयला क्षेत्र में विविधकृत अवसर।
36. कोयला क्षेत्र में उदारीकृत व्यवस्था।
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश एवं नीतिगत सुधारों को बढ़ाना।
38. रक्षा उत्पादन में स्वावलंबन को बढ़ाना।
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार।
40. नागर विमानन के लिए कार्यदक्ष एयरस्पेस प्रबंधन।
41. पीपीपी के माध्यम से विश्वस्तरीय अधिक हवाई अड्डे।
42. वायुयान रखरखाव, मरम्मत और जांच (एमआरओ) के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना।
43. विद्युत क्षेत्र में दर सूची नीति सुधार, केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण का निजीकरण।

44. सामाजिक क्षेत्र में पुनरुज्जीवित व्यवहार्यता अंतर निधियन योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन।
45. अंतरिक्ष क्रियाकलापों में निजी सहभागिता प्रोत्साहन।
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार।

ङ. दिनांक 17 मई, 2020 को की गई घोषणाएं

47. रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एमजीएनआरईजीएस के लिए आबंटन में 40,000 करोड़ की वृद्धि।
48. भारत को भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अन्य स्वास्थ्य सुधार में निवेश बढ़ाना।
49. कोविड के पश्चात इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी से प्रेरित शिक्षा।
50. आईबीसी संबंधित उपायों के माध्यम से व्यापार करने की सुगमता को अधिक बढ़ावा देना।
51. कंपनी अधिनियम संबंधी चूकों का वैधीकरण
52. कारपोरेट के लिए व्यापार करने की सुगमता।
53. एक नये, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग नीति।
54. केवल 2020-21 के लिए राज्यों की ऋण सीमा 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत बढ़ाना एवं राज्य स्तरीय सुधारों को प्रोत्साहन।

******

अनुबंध III

दिनांक 20.09.2020 के लिए राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संदर्भित विवरण

9		पी एम किसान		बीओसीडब्ल्यू (भवन तथा निर्माण निधि)			ईपीएफओ आहरण		24% ईपीएफ वितरण							ईसीएलजीएस के तहत वितरित ऋण (16.09. 2020 तक)	आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) स्कीम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित खाद्यान्न(एमटी) (07.09.2020 तक)		आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) स्कीम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित चना(एमटी) (07.09.2020 तक)		
																	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कुल वितरण	लाभार्थी	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कुल वितरण	लाभार्थी	
संख्या	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख)	पहचान की गई लाभार्थियों की संख्या	पहचान की गई लाभार्थियों की संख्या (द्वितीय)	कुल राशि (लाख)	लाभार्थी	राशि (लाख)	लाभार्थी (मार्च)	लाभार्थी (अप्रैल)	लाभार्थी (मई)	लाभार्थी (जून)	लाभार्थी (जुलाई)	लाभार्थी (अगस्त)	मार्च से अगस्त तक कुल राशि अंतरित (लाख)	वितरित राशि(करोड़)	(मई से अगस्त 2020)	(जून 2020)**			
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10677	213.54	11014	5375	491.67	484	181.77281	1841	1749	1643	1488	913	90	159.97	70.6	58	4,760	8.55	8554	
2.	आंध्र प्रदेश	4695820	93916.4	1967484	0	19674.84	108567	30465.43907	153300	158283	151372	146792	133535	7318	11325.18	4741.94	7	810	0	0	
3.	अरूणाचल प्रदेश	66323	1326.46	3000	0	60		0							0.00	38.54	583	5,616	33.73	33730	
4.	असम	1861715	37234.3	270000	0	2700	11203	2777.23109	7160	7499	7370	6763	5619	477	510.57	1253.51	15712	13,98,000	637.95	637953	
5.	बिहार	5899824	117996.48	0	0	0	40567	7602.62911	52951	54805	53798	51197	44947	2333	3993.25	1990.15	86450	68,44,972	3151	3151000	
6.	चंडीगढ़	429	8.58	6670	0	400.2	39886	8632.31454	23322	20897	22073	21409	20084	1182	1892.67	479.76	90	8,968	7.06	7056	
7.	छत्तीसगढ़	2167441	43348.82	0	0	0	46119	8660.04503	76268	78444	75723	72665	68033	3206	5995.94	1951.89	1258	1,26,950	169.57	169573	
8.	दादरा और नागर हवाली	10150	203	0	0	0		0							0.00	102.93	164	16,220	11.7	11700	
9.	दमन और दीव	3381	67.62	0	0	0		0							0.00	83.31					
10.	दिल्ली	12075	241.5	39600	39600	3960	295243	73596.16266	39830	36793	36868	34673	30943	1233	3530.06	6381.74	4544	3,29,077	351.1	351100	
11.	गोवा	7854	157.08	5117	0	307.02	12169	3107.29107	17876	15968	15259	14491	13782	381	1318.55	357.52	17	1,683	1.6	1600	
12.	गुजरात	4685062	93701.24	483196	0	4831.96	185208	37273.44252	243172	251261	244516	242384	230145	22558	18731.51	12005.92	268	43,316	19	19000	
13.	हरियाणा	1514497	30289.94	350621	0	17531.05	209604	53039.97756	76918	64925	70265	67210	63189	2943	5957.47	5834.02	7888	8,40,660	465.06	465060	
14.	हिमाचल प्रदेश	870609	17412.18	120265	126039	4926.08	17216	3507.58231	43424	41484	42402	42550	40546	1477	3308.08	912.81	1705	1,70,500	111.7	111700	
15.	जम्मू और कश्मीर	920451	18409.02	155975	0	4679.25	187	17.82763	23836	21959	21844	21586	19224	2594	1742.92	1597.88	1900	1,72,400	131.08	131080	
16.	झारखंड	1231912	24638.24	0	0	0	29000	5142.64934	87788	86091	83575	83130	78118	4699	7158.94	1511.67	717	62,224	1057.91	1057905	
17.	कर्णाटक	4839093	96781.86	1362438	0	68121.9	452484	153845.1508	281634	273165	265267	257403	232202	12724	24206.08	7249.99	11613	18,32,432	2055.38	2055380	
18.	केरल	2716844	54336.88	454124	0	4541.24	101119	31103.7267	110118	91211	99799	104282	98891	1920	8671.58	4886.81	960	95,985	186.03	186030	
19.	लद्दाख	0	0	उक्त जम्मू कश्मीर सहित	उक्त जम्मू कश्मीर सहित	0	16	1.75331	177	143	146	114	105	0	17.89	27.14	33	3,274	0	0	
20.	लक्ष्यद्वीप	0	0	520	0	32.76		0							0.00	1.62	14	1,394	4.53	4530	
21.	मध्यप्रदेश	6812020	136240.4	691850	0	17637	80993	18149.30407	158162	144857	134320	135658	129638	7365	10511.56	4564.56	1774	1,65,178	157.5	157500	
22.	महाराष्ट्र	8632718	172654.36	694408	0	17888.16	667817	187350.5145	418770	404866	380529	372293	346133	16483	31148.58	14364.3	17294	8,98,200	759.12	759120	
23.	मणिपुर	283457	5669.14	52605	0	526.05		0							0.00	70.01	676	67,600	82.35	82348	
24.	मेघालय	115638	2312.76	24730	0	1236.5		0	50025	54058	52551	49333	45249	5711	3315.59	81.36	2099	1,49,600	81.73	81734	
25.	मिजोरम	69425	1388.5	51451	0	1543.53		0							0.00	34.8	236	19,900	29.75	29750	
26.	नागालैंड	181008	3620.16	19046	0	380.92		0							0.00	45.68	1405	74,670	56	56000	
27.	ओडिसा	2003185	40063.7	2083288	0	31249.32	40666	8771.32209	129713	133169	132889	130113	120833	6775	9822.89	2345.1	390	20,000	15.13	15130	
28.	पुदुचेरी	9715	194.3	0	0	0	0	0	16110	13895	14074	14095	13358	632	950.29	212.39	73	7,340	15	15000	
29.	पंजाब	1752496	35049.96	289237	0	17354.22	49472	9665.65577	66008	55852	63477	60461	55427	5106	4779.19	4931.37	7193	7,19,300	980	980000	
30.	राजस्थान	5164391	103287.82	2230000	0	55750	83903	15781.48431	120047	113479	111154	108908	101109	6315	7649.36	7490.01	42478	42,47,800	2003	2003000	
31.	सिक्किम	0	0	7836	0	156.72		0							0.00	46.64	315	15,796	10.03	10031	
32.	तमिलनाडु	3559533	71190.66	1370601	0	27412.02	583161	158265.1997	507424	458395	476308	471998	442011	23263	32325.05	12445.58	2480	30,000	34	34000	
33.	तेलंगाना	3331468	66629.36	630324	0	12454.86	241181	77858.90355	156113	156685	152357	148451	136995	6883	10159.07	5114.29	177	17,213	34.46	34460	
34.	त्रिपुरा	190441	3808.82	39082	0	1172.46	1137	285.6338							0.00	137.23	277	13,368	20.73	20730	
35.	उत्तर प्रदेश	17675649	353516.98	1821520	1695490	35170.1	164511	33390.63687	190548	188671	189660	187867	177738	12618	14786.99	8907.38	11809	7,59,106	1057.95	1057953	
36.	उत्तराखंड	674688	13493.76	228423	228423	4568.46	48150	7975.9936	38032	36608	36725	36632	34787	1794	2958.71	1366.28	156	11,665	30.9	30900	
37.	पश्चिम बंगाल	0	0	2198349	0	21983.49	88684	18083.46987	329408	321645	332165	337058	317556	18739	20675.05	5899.95	43354	39,30,856	2646.76	2646760	
	कुल	89454616	1789092.32	18282774	2094927	378941.78	3604747	954311.4937	3419971	3286977	3268129	3221014	3001118	176829	247602.98	119536.68	268164.053	24927034.8**	16417.37	16417367	

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1206
सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

लॉकडाउन अवधि के दौरान रोजगार सृजन

1206 डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के पश्चात् गत पाँच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जान के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो मंत्रालय द्वारा उक्त के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या अनलॉक 1.0 के पश्चात् किसी रोजगार का सृजन हुआ है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस चले गए हैं। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तथा आत्मनिर्भर भारत की हिमायत की है। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, व्यवस्था, अवसंरचना, उत्साहवर्धक जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है जिससे युवाओं हेतु रोजगार सृजित हो।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है। 16 सितम्बर, 2020 तक 44.42 लाख कर्मचारियों के लिए 2.79 लाख प्रतिष्ठानों ने लाभ का दावा किया है जिसके लिए 2224.52 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण प्रवासी श्रम को घर के निकट कार्य करने में सहायता करने के लिए उनकी कौशल मैपिंग की जा रही है। इस अभियान में 125 दिनों में एक मिशन मोड अभियान में कार्यान्वित किए जाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवृत से 6 राज्यों के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और अवसंरचना सृजित करने के लिए 25 लक्ष्य प्रेरित कार्यों का सघन एवं संकेंद्रित कार्यान्वयन शामिल है।

*उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 08.09.2020 की स्थिति के अनुसार 22761 करोड़ रुपए व्यय के साथ कुल सृजित रोजगार (दिनों में) 26,34,23,281 दिवस है।

सरकार ने अवसंरचना लॉजिस्टिक, क्षमता निर्माण, कृषि, मत्स्य एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों हेतु शासन एवं प्रशासनिक सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाएं हैं। इसमें किसानों के लिए फार्म-गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि; सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों के औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना; प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये; राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम; 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना; 4,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हर्बल खेती को बढ़ावा देना; 500 करोड़ रुपए की मधुमक्खी पालन पहल; कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय; किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन; किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार; कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन शामिल है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1217
सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों का रोजगार समाप्त होना

1217 श्री के.के. रागेश:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रोजगार से हाथ धोने वाले दिव्यांगजनों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को कोई निधि आवंटित किया जाना विचाराधीन है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश कोविड-19 महामारी की चुनौतियों एवं खतरों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, दिव्यांगजनों तक विस्तारित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक उपाय किए हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्यान्वयनकारी अभिकरणों के पास बकाया ऋण (योजनाओं जैसे "दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना", विशेष सूक्ष्म वित्त योजना एवं "स्वं सहायता समूह (एसएचजी) को प्रोत्साहित करने हेतु दिव्यांगजनों से जुड़े लघु ऋण" के अंतर्गत किस्तों के भुगतान पर तीन माह के लिए ऋण-स्थगन का विस्तार कर दिया है। सरकार ने विगत वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही के दौरान कार्यान्वयनकरी अभिकरणों को जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोग अवधि को भी आगे के 120 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। दिव्यांगजनों को नियोजन एवं आत्म-निर्भर बनाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कौशलीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यकारी योजना का कार्यान्वयन करता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अधिनियम गैर दिव्यांग कामगारों हेतु 21000/- रु. प्रति माह की वेतन सीमा की तुलना में दिव्यांग कामगारों के लिए 25000/- रुपए प्रतिमाह की उच्च वेतन सीमा की कवरेज प्रदान करता है। बीमित दिव्यांग व्यक्तियों (आईपी) के लिए नियोक्ता के अंशदान में तीन वर्ष की छूट है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगार हो जाने वाले बीमित व्यक्तियों को नकद क्षतिपूर्ति के रूप में 90 दिनों तक की राहत भी प्रदान करता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान, ईएसआईसी ने हितलाभ की मात्रा को औसत दैनिक अर्जन का 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है तथा 24.03.2020 से 31.12.2020 की अवधि के लिए अटल बीमित व्यक्ति योजना के तहत दिव्यांग आईपी सहित बीमित व्यकियों हेतु पात्रता शर्तों में छूट प्रदान की है।

सरकार ने दिव्यांगो सहित कामगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ान हेतु निम्नलिखित कदम भी उठाए हैः

सरकार ने 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तथा आत्मनिर्भर भारत की हिमायत की है जिसका लक्ष्य दिव्यांगों सहित युवाओं हेतु रोजगार सृजित करना है।

सरकार कोविड-19 महामारी के प्रभाव को गरीबों पर कम करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। पीएमजीकेवाई के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं एवं गरीब दिव्यांगों हेतु 1,000/- रुपए अनुग्रहपूर्वक अनुदान की परिकल्पना की गई है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप रोजगार एवं आजीविका अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार दिव्यांगजनों सहित ग्रामीण प्रवासी कामगारों को इंटरनेट, कौशल मैपिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कार्यान्वयन कर रही है। 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवृत से 6 राज्यों के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और अवसंरचना सृजित करने के लिए 25 लक्ष्य प्रेरित कार्यों का सघन एवं संकेंद्रित कार्यान्वयन शामिल है।

मनरेगा वेतन को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है जिससे दिव्यांगों सहित 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों दिव्यांगों सहित को कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1234

सोमवार, 21 सितम्बर,2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

ईपीएफ से अप्रतिदेय अग्रिम

1234 डा. प्रकाश बांडा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नोवेल कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन से उत्पन्न हुई वित्तीय आपात स्थिति से निपटने के लिए कमचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को अपने सदस्यों के खातों के पक्ष में ईपीएफ से अप्रतिदेय अग्रिम लेने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अप्रतिदेय अग्रिम के लिए कितने सदस्यों ने आवेदन किया है, तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लॉकडाउन की शुरूआत से लेकर अब तक ईपीएफओ से कितनी धनराशि आहरित की गई है, तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कोविड-19 परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के भाग के रूप में, किसी सदस्य के भविष्य निधि खाते से उस सदस्य के तीन माह तक के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते से अनधिक अथवा उस ईपीएफ खाते में उसके नाम जमा राशि की 75 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, को नॉन-रिफंडेबल अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना को संशोधित किया गया है। नॉन-रिफंडेबल (कोविड) अग्रिम के लिए दावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध 'क' पर है।

(ग): लॉकडाउन की शुरूआत से लेकर अब तक ईपीएफओ (कोविड अग्रिम सहित) से आहरित की गई कुल राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध 'ख' पर है।

**

*****

अनुबंध -क

"ईपीएफ से अप्रतिदेय अग्रिम" के संबंध में डा. प्रकाश बांडा द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1234 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नॉन रिफंडेबल (कोविड) अग्रिम

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दावों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,16,094
2	असम*	12,350
3	बिहार	44,599
4	चंडीगढ़	42,629
5	छत्तीसगढ	50,047
6	दिल्ली	3,16,671
7	गोवा	13,113
8	गुजरात	1,99,952
9	हरियाणा	2,24,901
10	हिमाचल प्रदेश	18,456
11	जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	239
12	झारखंड	31,457
13	कर्नाटक	4,84,114
14	केरल	1,06,718
15	मध्य प्रदेश	98,156
16	महाराष्ट्र	7,23,986
17	ओडिशा	44,255
18	पंजाब	52,826
19	राजस्थान	89,545
20	तमिलनाडु	6,20,662
21	तेलंगाना	2,57,477
22	त्रिपुरा	1,245
23	उत्तर प्रदेश	1,78,873
24	उत्तराखंड	49,770
25	पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित)	93,529
	कुल	**38,71,664**

* असम के आंकड़ों में अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों के आंकड़े शामिल हैं।

अनुबंध-ख

"ईपीएफ से अप्रतिदेय अग्रिम" के संबंध में डा. प्रकाश बांडा द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1234 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

लॉकडाउन की शुरूआत से लेकर अब तक ईपीएफओ (कोविड अग्रिम सहित) से आहरित की गई कुल राशि

क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**राशि (करोड़ रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	1336.54
2	असम*	220.15
3	बिहार	340.61
4	चंडीगढ़	563.41
5	छत्तीसगढ	450.27
6	दिल्ली	3308.57
7	गोवा	205.27
8	गुजरात	2373.14
9	हरियाणा	2430.93
10	हिमाचल प्रदेश	294.35
11	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	0.52
12	झारखंड	326.31
13	कर्नाटक	6418.52
14	केरल	1383.48
15	मध्य प्रदेश	1048.83
16	महाराष्ट्र	8968.45
17	ओडिशा	577.73
18	पंजाब	706.21
19	राजस्थान	963.88
20	तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित)	5589.91
21	तेलंगाना	2888.33
22	त्रिपुरा	27.43
23	उत्तर प्रदेश	1814.92
24	उत्तराखंड	445.82
25	पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित)	1371.14
	कुल	**44,054.72**

* असम के आंकड़ों में अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों के आंकड़े शामिल हैं।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1240

सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

ईपीएफ प्रतिष्ठानों के लिए राहत

1240 श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल में ईपीएफ प्रतिष्ठान को दी गई नकदी राहत का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त राहत से राज्य-वार कितने कर्मचारी/ श्रमिक लाभान्वित होंगे;

(ग) क्या यह सच है कि शुरूआत में यह छह महीने के लिए दी गई है;

(घ) क्या आर्थिक स्थितियों में हुए मामूली सुधार के मद्देनजर प्रतिष्ठान इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाने की माँग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या वित्त मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के बीच कोई विचार-विमर्श हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत, भारत सरकार 100 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए, जिनमें ऐसे 90% कर्मचारी 15,000/- रुपये मासिक से कम अर्जित कर रहे हों, मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के मजदूरी माहों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत 12% कर्मचारियों और 12% नियोजकों दोनों के अंशदान, कुल अंशदान 24% का भुगतान कर रही है। कुल अनुमानित व्यय 4869 करोड़ रुपये है। यह कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक विघटनों के वाबजूद उक्त प्रतिष्ठानों को उनके कर्मचारी उनकी वेतनपंजी पर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा, यह प्रतिष्ठानों को चल निधि राहत भी प्रदान करेगा क्योंकि उन्हें काम पर लौटने पर वित्तीय संकट का सामना करते रहना पड़ सकता है। प्रतिष्ठानों द्वारा पीएमजीकेवाई/आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत दावा किए गए लाभों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत तीन और माहों अर्थात जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के मजदूरी माहों के लिए बढ़ाया गया था।

(घ) और (ङ): योजना को आगे और बढ़ाने की मांगें की गई हैं। वित्तीय विवक्षाओं वाली किसी योजना के विस्तार के लिए, वित्त मंत्रालय से परामर्श अनिवार्य है।

* ******

अनुबंध

"ईपीएफ प्रतिष्ठानों के लिए राहत" के संबंध में श्री वी. विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछे जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1240 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

16/09/2020 की स्थिति के अनुसार पीएमजीकेवाई/आत्मनिर्भर भारत (कर्मचारियों और नियोजकों को ईपीएफ के 24% भाग का लाभ) संबंधि स्थिति			
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**प्रतिष्ठानों की संख्या**	**कर्मचारियों की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	221	2293
2	आंध्र प्रदेश	11196	192431
3	असम **	5267	79140
4	बिहार	4263	67243
5	चंडीगढ़	2126	30960
6	छत्तीसगढ	5904	98988
7	दिल्ली	4786	56999
8	गोवा	1385	23275
9	गुजरात	22224	341322
10	हरियाणा	7393	110815
11	हिमाचल प्रदेश	4015	59095
12	जम्मू और कश्मीर	2103	29443
13	झारखंड	6396	110376
14	कर्नाटक	22493	353922
15	केरल	7387	134287
16	लद्दाख	19	219
17	मध्य प्रदेश	12333	199039
18	महाराष्ट्र	39263	565162
19	ओडिशा	9091	163769
20	पुडुचेरी	1022	19715
21	पंजाब	6266	89387
22	राजस्थान	11412	158470
23	तमिलनाडु	33860	620529
24	तेलंगाना	12494	200966
25	उत्तर प्रदेश	17544	260429
26	उत्तराखंड	3153	53248
27	पश्चिम बंगाल @@	25601	421091
	कुल	**279217**	**4442613**

** असम के डेटा में अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आंकड़े शामिल हैं।
@@ पश्चिम बंगाल के डेटा में सिक्किम शामिल है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1242

सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

नैमित्तिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ

1242. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संगिठत और असंगिठत दोनों क्षेत्रों में नैमित्तिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं को लागू कर रही है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में नैमित्तिक श्रमिकों को उनके लिए नियत सामाजिक सुरक्षा से कथित रूप से वंचित रखा गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में नैमित्तिक श्रमिकों को सभी बनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) विगत पॉच वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नैमित्तिक/संविदागत श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कामगारों, ठेका श्रमिकों और अन्य की नियुक्ति विभिन्न श्रम कानून द्वारा शासित है जो कि केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा कियान्वित की जा रही है। किसी कामगार द्वारा कोई शिकायत और अभियोग की जाती है तो अधिनियमों में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को लागू करने के लिए क्रियान्वयन एजेसियां निरीक्षण करते हैं। केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न संगत श्रम कानूनों के लागू करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निरीक्षण करते हैं। संगत श्रम कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी/उल्लघंन करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ग): ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जारी लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के आकड़ों के आधार पर केंद्रीय क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यरत ठेका कामगारों की संख्या का ब्यौरा निम्ननुसार है:

वर्ष	**ठेका मजदूरों की कुल संख्या**
2015	**8,39,234**
2016	**9,64,001**
2017	**11,10,603**
2018	**11,78,878**
2019	**13,,64,377**

*****